पत्रांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–02 / 25 / 781श्री0 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 2 / 2 / 2026

विषय : विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं 8116 दिनांक 27.06.2025 के आलोक मे जिला पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियाँ एवं जहानाबाद द्वारा अधियाचित अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में ₹5.00 लाख रूपया अनुग्रह अंनुदान राशि के रूप में मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

पुनः विभागीय संकल्प संख्या 8116 दिनांक 27.06.2025 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में ₹5.00 लाख रूपये मात्र के अनुग्रह अनुदान की राशि मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान दिनांक 27.06.2025 से लागू है।

अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक 26 / जि०पं० दिनांक 05.01.2026, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–2222 / जि०पं० दिनांक 31.12.2025 एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के अभिलेख संख्या 1 / 2025–26 दिनांक 05.012026 द्वारा अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्राप्त है।

3. उक्त प्रावधान के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र०	संकल्प संख्या	पत्रांक/ दिनांक	मृत व्यक्ति का नाम/पदनाम	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	**5482 दिनांक 01.10.2018**	जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 27/जि०पं० दिनांक 25.01.2026	स्व० गौरी देवी, ग्राम पंचायत सदस्य, प्रखंड पलासी, ग्राम पंचायत धर्मगंज, जिला—अररिया	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी अररिया के आदेश ज्ञापांक 26/जि०पं० दिनांक 05.01.2026 में प्राप्त स्वीकृति
2	**8116 दिनांक 27.06.2025**	जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ का पत्रांक 2223 दिनांक 31.12.2025	स्व० तिलिया देवी, मुखिया, प्रखंड—बी० कोठी, ग्राम पंचायत औराही, जिला—पूर्णियाँ	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक—2222/जि०पं० दिनांक 31.12.2025 में प्राप्त स्वीकृति
3	**5482 दिनांक 01.10.2018**	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद का पत्रांक 99 दिनांक 12.01.2026	स्व० बैंकटेश कुमार, सरपंच, प्रखंड—काको, ग्राम पंचायत—सुलेमानपुर, जिला जहानाबाद	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी जहानाबाद के अभिलेख संख्या 1/2025—26 दिनांक 05.012026 में प्राप्त स्वीकृति
कुल				₹15,00,000.00	

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025—26 में राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—उपमुख्य शीर्ष—00—लघुशीर्ष 001—निदेशन तथा प्रशासन—उप शीर्ष—0101—मुख्यालय पंचायत स्थापना" अंतर्गत "विषय शीर्ष—0101.37.01—अनुग्रह अनुदान" मद से की जायेगी। इसका मांग सं०—16 एवं विपत्र कोड 16—2515000010101 है।

5. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियाँ एवं जहानाबाद होंगे। इस स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, अररिया, पूर्णियाँ एवं जहानाबाद से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025—26 में करते हुए CFMS के माध्यम से मृतकों के आश्रितों के बैंक खाते में अंतरित करेंगे।

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

7. इस स्वीकृत राशि का निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की स्वीकृति यह मानकर भी दी जा रही है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जनप्रतिनिधि की मृत्यु से संबंधित सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच विभागीय संकल्प संख्या—5482 दिनांक—01.10.2018 के आलोक में अपने स्तर से करा

ली गयी है एवं उक्त संकल्प के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि देय है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष) के संकल्प संख्या–ए०/विविध–(38)–60–2008–8960 दिनांक–30.09.2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है।

साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक को पूर्व में किसी अन्य कोष (यथा NDRF, SDRF अथवा समरूप किसी आपदा कोष) से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत्योदश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/25 के पृष्ठ–90/टि0 पर दिनांक–27/01/2026 को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का आदेश संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/25 के पृष्ठ–90/टि0 पर दिनांक–30/01/2026 को प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

2/2/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/25/78(2910)/पं०रा०पटना, दिनांक 2/2/26
प्रतिलिपि :जिला पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियाँ एवं जहानाबाद/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् अररिया, पूर्णियाँ एवं जहानाबाद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियाँ एवं जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियाँ एवं जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/2/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/25/78(2910)/पं०रा०पटना, दिनांक 2/2/26
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2/2/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/25/78(स्वी०)/पं०रा०पटना, दिनांक 2/2/26

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–5(बजट)/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/25/78(स्वी०)/पं०रा०पटना, दिनांक 2/2/26

प्रतिलिपिः आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव